राजस्थान प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम सं. 28)

(श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा 17 अक्टूबर, 1951 को बनाया गया)

राजस्थान में प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिये अधिनियम।

यत: राजस्थान में प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है,

अत: इसके द्वारा यह अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय 1

प्रारभिक

1. नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1951 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान में है।

(3) यह तुरन्त प्रवत्त होगा ।

2. निरसन.- (1) इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियां और अधिनियमितिया इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(2) किन्तु इसके द्वारा निरस्त विधियों और अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये समस्त नियम और की गई समस्त नियुक्तियां, जारी की गई अधिसूचनाएं और आदेश, प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियां, अनुदत फार्म और पट्टे, अर्जित अधिकार, उपगत दायित्व, और किये गये अन्य कार्य यथाशक्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये, की गई, जारी की गई, प्रदत्त, अनुदत्त, उपगत और किये गये समझे जायेगें।

(3) इसके द्वारा निरसित विधियें और अधिनियमितियों का निर्देश करने वाली कोई भी अधिनियमिति अथवा दस्तावेज यथाशक्य, इस अधिनियम अथवा उसके तत्संबंधी भाग का निर्देश करने वाले समझे जायेंगे।

3. निर्वचन.- केन्द्रीय विधानमंडल का साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 आवश्यक परिवर्तनों के साथ यथाशक्य, इस अधिनियम पर उसी प्रकार लागू होगा जैसे कि वह किसी केन्द्रीय अधिनियम पर लागू होता है।

4. परिभाषाएं.- जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में.-

(i) "संपदा" से राज्य अनुदान के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा धारित कोई भूमि अथवा भूमि में कोई हित अभिप्रेत है और इसमें ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा धारण की गई अन्य संपत्तिया भी सम्मिलित है,

(ii) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है,

(ii) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय व्यस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अधीन, वयस्कता प्राप्त नही की है।

(iv) "भू-धारक" से कोई संपदा धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है,

(v) "विहित" से इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(vi) "राज्य अनुदान" से किसी प्रसंविदाकारी राज्य के शासक अथवा सरकार द्वारा किया गया या इस प्रकार किये गये के रूप में सरकार द्वारा मान्य या घोषित किया गया भूमि का अथवा उसमें किसी हित का कोई अनुदान अभिप्रेत है,

(vii) "प्रतिपाल्य" से एक निरहित भू-धारक अभिप्रेत है जिसका शरीर अथवा संपदा अथवा जिसका संपदा का कोई भाग प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन है अथवा कोई ऐसा भू-धारक जिसकी संपदा के बारे में धारा 10 के अधीन घोषणा कर दी गई है।

अध्याय 2
प्रतिपाल्य अधिकरण

5. राजस्थान प्रतिपात्य अधिकरण.- राजस्थान राजस्व बोर्ड, संपूर्ण राजस्थान राज्य के लिये प्रतिपाल्य अधिकरण होगा, जो इस रूप में इसके द्वारा गठित किया जाता है।

6. सरकार का नियन्त्रण.- प्रतिपाल्य अधिकरण में निहित प्राधिकार सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगा।

7. प्रतिपाल्य अधिकरण की शक्तियां कैसे प्रयुक्त की जायेगी - (1) प्रतिपाल्य अधिकरी इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदन समस्त अथवा किन्ही भी शक्तियों का प्रयोग, उन जिलों, जिनमें कि उसके प्रतिपाल्यों की संपदा का कोई भी भाग स्थित है, के कलेक्टरों के माध्यम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिसको कि वह इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, के माध्यम से कर सकेगा।

(2) प्रतिपाल्य अधिकरण समय समय पर अपनी किन्हीं भी शक्तियों का प्रत्यायोजन सरकार की मंजूरी से यथोपरोक्त कलेक्टरों अथवा अन्य व्यक्तियों को कर सकेगा और वैसी ही मंजूरी से किसी भी समय ऐसे प्रत्यायोजन को पतिसंह्रत कर सकेगा।

अध्याय 3
व्यक्ति और संपदा का अधीक्षण संभालना

8. भू-धारक कब निरहित समझे जायेगें. (1) भू-धारक अपनी स्वयं की संपदा का प्रबंध करने लिये निरहित समझे जायेगे यदि वे.-

(क) अवयस्क है,

(ख) ऐसे व्यक्ति है जो किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा विकृत चित और अपनी स्वयं की संपदा का प्रबन्ध करने के लिये असमर्थ न्याय निर्णीत कर दिये गये है,

(ग) ऐसे व्यक्ति है जो सरकार द्वारा निम्नलिखित कारणों से अपनी स्वयं की संपदा का प्रबन्ध करने के लिये असमर्थ अथवा अयौग्य घोषित कर दिये गये है : -

(i) उनको अपनी स्वयं की संपदा का प्रबन्ध करने के लियें अयोग्य बना देने वाले किसी शारीरिक अथवा मानसिक दोष अथवा अंग शैथिल्य के कारण;

(ii) किसी अजमानतीय अपराध से उनके सिद्ध दोष हो जाने के कारण अथवा दुराचारपूर्ण आदतों अथवा दुश्चरित्रता की वजह से अपनी स्वयं की संपदा के प्रबन्घ करने के लिये अयोग्य हो जाने के कारण;

(iii) उनके द्वारा फिजूल खर्ची की राह अपना लेने के कारण;

(iv) उनके द्वारा देय ऋणों और दायित्वों के उन्मोचन में बिना उचित कारणों के उनकी असफलता के कारण;

(v) ऐसे कुप्रबंध के कारण जिससे काश्तकारों में सामान्य असंतोष व्याप्त हो गया हो :

परन्तु खण्ड (iii) अथवा (iv) के अधीन ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जायेगी जब तक कि सरकार को यह समाधान न हो जाय कि ऐसी फिजूल खर्ची अथवा उक्त ऋणों और दायित्वों के उन्मोचन में ऐसी असफलता उस संपदा के लिये सामान्यत अपव्ययकारक बनेगी ।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई भी घोषणा तब तक नही की जायेगी जब तक भू-धारक को उन आधारों का एक विस्तृत विवरण नहीं दिया गया हो जिन पर उसको निरहित करने का प्रस्ताव है और इसके लिये कारण बताने का अवसर न दिया गया हो कि ऐसी घोषणा क्यों न की जाय ।

9. सरकार के आदेश से भू-धारक की परिस्थितियों की जांच.- (1) सरकार कलेक्टर को अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसकी वह नियुक्त करें, किसी भू-धारक की परिस्थितियों और उसकी ऋणिता की सीमा की जांच करने के लिये निदेश दे सकेगी।

ऐसी जांच के दौरान साक्षियों को हाजिर होने के लिये और दस्तावेजों को पेश करने के लिये विवश करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किया गया अन्य व्यक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की समस्त अथवा किन्ही भी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) कलेक्टर राजस्थान राजपत्र में वह तारीख अधिसूचित करेगा जिसको कि वह जांच की जायेगी। अधिसूचना की एक प्रति भू-धारक पर तामील की जायेगी। कलेक्टर प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा भार ग्रहण करने की अधिसूचनाओं के प्रकाशन के लिये विहित रीति से उक्त अधिसूचना का प्रकाशन भी करेगा।

(3) उक्त अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से इस अधिनियम की धारा 37 के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध भू-धारक पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि जांच चालू रहे और जब तक कि उस पर सरकार के आदेश पारित न कर दिये जाए।

10. स्वयं भू-धारक के द्वारा आवेदन.- कोई भू-धारक अपनी सम्पदा को प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण के अधीन रखी जाने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा, और प्रतिपाल्य अधिकरण का, इस बात से समाधान हो जाने पर कि ऐसी सम्पदा के प्रबन्ध का जिम्मा लेना समीचीन होगा, वह तदर्थक एक घोषणा कर सकेगा।

11. **सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.-** धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा अथवा धारा 10 के अधीन प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा की गई किसी भी घोषणा पर किसी सिविल न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

12. **अधीक्षण संभालने की शक्ति** - (1) प्रतिपाल्य अधिकरण की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हित किसी भी भू-धारक को संपदा का अथवा जिस भू-धारक की संपदा के बारे में धारा 10 के अधीन घोषणा कर दी गई है उसी संपदा का अधीक्षण संमालेगा।

(2) प्रतिपाल्य अधिकरण अपने विवेकानुसार: -

(क) धारा 8 को उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन निरर्हित किसी भू-धारक की संपदा का अथवा उसके शरीर और संपदा का,

(ख) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हित किसी मू-धारक के शरीर का, अधीक्षण संभाल सकेगा अथवा संभालने से विरत रह सकेगा ।

(3) प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसे किसी भी अवस्यक के शरीर की अधीक्षणता संभाल सकेगा जिसका-

(क) धारा 8 के अधीन निरर्हित किसी भू-धारक की संपदा में, अथवा

(ख) ऐसे भू-धारक की संपदा में, जिसकी संपदा के बारे में धारा 10 के अधीन घोषणा की जा चुकी है,

कोई अव्यवहित या उत्तरभोगी हित हो ।

13. प्रतिपाल्य अधिकरण की अधीक्षणता का अधिकार विवादग्रस्त होने पर सरकार को रिपोर्ट- यदि प्रतिपाल्य न्यायालय का किसी निरर्हित भू-धारक के शरीर अथवा उसकी संपदा का अधीक्षण संभालने अथवा बनाये रखने के अधिकार का ऐसे भू-धारक द्वारा अथवा यदि यह अवयस्क है, अथवा विकृत चित वाला है, तो उस मामले की रिपोर्ट सरकार को की जायेगी, जिसके आदेश उस पर अंतिम होंगे और किसी भी सिविल न्यायालय में उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

14. भू-धारक की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी के शरीर और संपत्ति का सरंक्षण. -

(1) जब किसी कलस्टर को सूचना प्राप्त हो कि किसी भू-धारक की मृत्यु हो गई है, और उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भू-धारक का उत्तराधिकारी धारा 8 की उप-धारा (i) के खंड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) (i) या (ग) (ii) के अधीन निरर्हित समझा जाना चाहिये तो-

(क) वह, प्रतिपाल्य अधिकरण के निदेश और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, उत्तराधिकारी की संपदा का कब्जा ले सकेगा और उसका एक प्रबन्धक नियुक्त कर सकेगा, जो प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा नियुक्त प्रबन्धक को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा अथवा उत्तराधिकारी की संपदा की अस्थायी अभिरक्षा और संरक्षण के लिये ऐसी कार्यवाही करेगा और आदेश करेगा जो वह उचित समझे, और

(ख) यदि उत्तराधिकारी अवयस्क है, तो वह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति यदि कोई हो, जिसकी अभिरक्षा में वह अवयस्क है, उसको ऐसे स्थान और समय पर, और ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जिसे यह नियुक्त करे, पेश करेगा या पेश करवायेना और अवयस्क की अस्थायी अभिरक्षा अथवा संरक्षण के लिये ऐसे उपाय करेगा जो वह उचित समझे ।

(2) यदि संपदा का बाद में प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा भार ग्रहण नहीं किया जाये तो इस धारा के अधीन कार्यवाही करने वाले कलेक्टर द्वारा उपगत समस्त खर्चे भू-धारक अथवा ऐसे व्यक्ति या

व्यक्तियों से, जिनको कलेक्टर ऐसी संपदा पर काबिज पाये भू-राजस्व की बकाया के रूप में ऐसी किसी भी प्रक्रिया द्वारा वसूलीय होगी जिससे कि भू-राजस्व की बकाया तत्समय वसूल की जाती हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन सेक्टर द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही की रिपोर्ट उसके द्वारा तुरन्त प्रतिपाल्य अधिकरण को की जएगी।

15. **<u>अधीक्षण संभालने की अधिसूचना.-</u>** जब प्रतिपाल्य अधिकरण किसी व्यक्ति अथवा संपदा का अधीक्षण संभालता है तो संभालने का आदेश राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचित किया जायेगा, और उसमें वह कलेक्टर अथवा अन्य व्यक्ति विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसको कि भार दिया गया है।

16. **<u>प्रतिपाल्य की संपूर्ण संपदा का अधीक्षण के अधीन समझा जाना.-</u>** (1) प्रतिपाल्य की संपूर्ण संपदा जिसमें उसकी संपूर्ण जंगम तथा स्थावर संपत्तियां सम्मिलित है :-

(क) धारा (8) की उप धारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अधीन निरर्हित भू-धारकों के मामले में अधीक्षण संभालने की तारीख से, और

(ख) धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) अथवा धारा 10 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, की गई घोषणा की तारीख से,

प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण के अधीन समझी जायेगी।

(2) कलेक्टर अथवा उस निमित नियुक्त किया गया अन्य व्यक्ति संपदा का कब्जा और अभिरक्षण ग्रहण करेगा और धारा 64 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उसका प्रबंध करेवा।

(३) कोई भी संपति, जो प्रतिपाल्य को इस प्रकार संभालने अथवा घोषणा के पश्चात् विरासत में मिले प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण के अधीन समझी जावेगी।

(4) प्रतिपाल्य अधिकरण स्वविवेकानुसार किसी भी संपति का जो प्रतिपाल्य इस प्रकार संभालने अथवा घोषण की तारीख के पश्चात विरासत से अन्यथा अर्जित करे, अधीक्षण संभाल सकेगा अथवा उससे विरत रह सकेगा।

<u>अध्याय-4</u>

<u>ऋण अभिनिश्चित करना</u>

17. **<u>दावेदारों को नोटिस और दावों का पेश किया जाना.-</u>** (1) धारा 15 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित हो जाने पर संभालने के आदेश में विनिर्दिष्ट कलेक्टर, अथवा कोई भी अन्य कलेक्टर, जिसको प्रतिपाल्य अधिकरण इस निमित्त नियुक्त करे, राजस्थान राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें उन समस्त व्यक्तियों से जो प्रतिपाल्य अथवा उसकी संपदा के विरूद्ध दावे रखते है, जिनमें धन की डिक्रिया चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो या नही, सम्मिलित है, यह अपेक्षा की जावेगी कि वे नोटिस के प्रकाशन की तारीख से छ:माह के भीतर अपने दावे लिखित में ऐसे कलेक्टर को अधिसूचित कर दें:

परन्तु, यदि दावेदार नोटिस की तारीख को अवयस्क अथवा उन्मत्त अथवा जड़मति हो, तो उक्त छ. माह की कालावधि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 6 में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार चलना प्रारंभ होगी:

परन्तु यह और कि यदि दावेदार उक्त नोटिस की तारीख को भारत से अनुपस्थित हो, तो उक्त कालावधि उसके भारत में लौटने की तारीख से चलना प्रांरभ होगी।

(2) नोटिस ऐसे स्थानों पर और ऐसी अन्य रीति से भी प्रकाशित किया जायेगा, जो प्रतिपाल्य अधिकरण, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा, निदेश दे।

(3) प्रत्येक दावेदार अपने दावे के विवरण के साथ उसकी पूरी विशिष्टियां पेश करेगा :

परन्तु किसी डिक्री के मामले में, उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि ऐसी विशिष्टियां सहित जिनमें यह दर्शाया जायेगा कि उसका किस सीमा तक चुकारा हो चुका है, फाईल करना पर्याप्त होगा।

(4) प्रत्येक दस्तावेज (जिसमें लेखा पुस्तकों में की गई प्रविशिष्टियों सम्मिलित है) जिस पर कि दावेदार अपना दावा आधारित करता है अथवा जिस पर कि वह उसके समर्थन में निर्भर करता है, दावे के विवरण के साथ कलेक्टर के समक्ष पेश किया जायेगा:

परन्तु इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों में, बैककार वही साक्ष्य अधिनियम, 1891 की धारा 4 के उपबन्ध लागू होंगे।

(5) ऐसे प्रत्येक दस्तावेज के साथ उसकी एक सही प्रतिलिपि होगी। कलेक्टर पहचान के प्रयोजनार्थ मूल दस्तावेज को चिन्हित करेगा, और उसकी परीक्षा करने और प्रतिलिपि का उसके साथ मिलान करने के पश्चात प्रतिलिपि को रख लेगा और मूल को दावेदार को लौटा देगा।

(6) इस अध्याय की इस धारा और अगली धाराओं की कोई भी बात धारा 15 के अधीन अधिसूचना निकलने की तारीख के पश्चात किये गये लेन देन संबंधी किसी भी दावे पर लागू नही होगी।

18. **<u>दावे अधिसूचित करने में विफलता का प्रभाव;-</u>** धारा 20 के अध्यधीन रहते हुए सरकार को देय ऋणों और उसके पक्ष में उपगत दायित्वों के अलावा प्रतिपाल्य के अथवा उसकी संपदा के विरुद्ध धारा 17 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का प्रत्येक दावा जो धारा 17 के अधीन अधिसूचित नहीं किया गया है, समस्त प्रयोजनों के लिये और समस्त अवसरों पर, चाहे वह प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण के जारी रहने के दौरान हो अथवा उसके पश्चात सम्यक रूप से उन्मोचित हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यदि, दावेदार धारा 17 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहने का उचित कारण बता सके तो, कलक्टर उसका दावा ग्रहण कर लेगा और इ स प्रकार ग्रहण किया गया दावा धारा 17 के अधीन अधिसूचित किया हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के उपबबंध ऐसे किसी भी दावे को ऐसे किसी मामले में निर्वाचित करने वाले नहीं समझे जायेगें जिसने प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसी संपदा का अधीक्षण संभालने के पश्चात उसको अपने अधीक्षण से इस अध्याय में उपबंधित रीति से उसके दायित्वों का निर्वहन किये बिना निर्मुक्त कर दे :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात प्रतिपाल्य की स्थावर संपत्ति पर कब्जा रखने वाले किसी बन्धकदार पर लागू नही होगी।

<u>19 दावे के बारे में कलेक्टर की शक्तियां.-</u> (1) कलेक्टर यह विनिश्चय करेगा कि धारा 17 धारा 17 तथा 18 के अधीन अधिसूचित किये अथवा अधिसूचित किये हुए समझे गये दावों में से कौन से दावे सम्पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से मंजूर किये जाने है, और कौन से नामंजूर किये जाने है, और अपने विनिश्चय की प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा पुष्टि हो जाने पर उसकी लिखित सूचना दावेदारों को देगा ।

(2) जब कोई दावा जो धारा 18 के प्रथम परन्तुक के अधीन प्राप्त हुआ है मंजूर कर दिया जाये तो, कलेक्टर धारा 17 के अधीन सूचना के प्रकाशन के समय से प्रोद्भूत ब्याज का आंशिक भुगतान नामंजूर कर सकेगा।

(3) जहा उप-धारा (1) के अधीन मंजूर किया गया कोई दावा, जो डिक्रि में विलियित न हो शोध्य अथवा संदये हो तो कलेक्टर यदि ऐसा दावा तुरन्त उन्मोचित नहीं किया जा सकता है अपने विनिश्चिय की तारीख से भुगतान तथा दावे के उन्मोचन की तारीख तक उस पर संदये ब्याज की दर नियत कर सकेगा:

परन्तु यदि इसको मंजूर करने वाले कलेक्टर के विनिश्चय की तारीख से दो वर्षो के भीतर ऐसा दावा प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा उन्मोचन नही किया जाता है तो ब्याज की संविदागत दर को इस उप-धारा के अधीन कम करने वाला कोई भी आदेश अप्रवर्ती समझा जायेगा।

(4) कलेक्टर ऐसे विनिश्च की तारीख से उपरोक्त नियत तारीख तक अथवा विनिश्चय की तारीख से दो वर्ष की तारीख तक, जो भी अवधि अधिक न हो, दावे पर संदेय ब्याज की दर नियत कर सकेगा:

परन्तु यदि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा ऐसा दावा उस तारीख को या उससे पूर्व उन्मोचित नहीं किया जाता है जिस तारीख तक के लिये कि ऐसे आदेश द्वारा ब्याज नियत किया गया है तो ब्याज की संविदागत दर को कम करने वाला आदेश अप्रवर्ती समझा जायेगा।

(5) उप-धारा (3) अथवा उप-धारा (4) के अधीन नियत की गई ब्याज की दर किसी भी स्थिति में 6 प्रतिशत वार्षिक से कम न होगी।

(6) इस धारा की उप-धारा (2), (3) और (4) के अधीन कलेक्टर की कार्यवाही प्रतिपाल्य अधिकरण के पुष्टिकरण के अध्यधीन होगी और उस पर किसी भी सिविल न्यायालय में कोई प्रश्न नही उठाया जा सकेगा।

20. **<u>सिवित न्यायालय में दावों का अभियोजन.</u>**- धारा 18 और 19 की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा की वह किसी भी व्यक्ति को धारा 18 के अधीन कलेक्टर द्वारा अथवा धारा 19 (1) के अधीन प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा सम्पूर्णत: या अशंत: नामंजूर किये गये किसी वाद के बारे में किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित करने अथवा जारी रखने से निवारित करती है:

परन्तु जहां धारा 17 के अधीन दावेदार अपना दावा अधिसूचित करने में विफल रहा हो, वहां ऐसे दावे के बारे में कोई भी वाद या कार्यवाही नहीं चल सकेगी जब तक कि दोवदार ऐसी विफलता के लिये अच्छा और पर्याप्त कारण दर्शित नहीं करे।

21 **<u>प्रमाण-पत्र के फाइल किये जाने तक डिक्रियों का निष्पादन रोका जाना.</u>**- (1) धारा 17 के अधीन किसी नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त उक्त प्रतिपाल्य या उसकी संपदा के खिलाफ किसी डिक्री के निष्पादन में कोई भी नवीन कार्यवाही किसी भी न्यायालय में संस्थित नही की जायेगी, और न किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाही में उस समय लम्बित कोई भी कुर्की या अन्य आदेशिका जारी की जायेगी, जब तक कि डिक्रीधारी-

(क) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र फाइल न कर दे कि धारा 17 के अनुसार दावा अधिसूचित कर दिया गया है अथवा अधिसूचित किया गया समक्ष लिया गया है, अथवा

(ख) धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी वाद अथवा कार्यवाही में दावा मंजूर करने वाला सिविल न्यायालय के अंतिम आदेश अथवा डिक्री की एक प्रतिलिपि फाइल न कर दे।

(2) प्रतिपाल्य अथवा उसकी संपदा के खिलाफ डिक्री धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति उप-धारा 1 (क) में विनिर्दिष्ट आशय का एक प्रमाण-पत्र बिना खर्चे के कलेक्टर से प्राप्त करने का हकदार होगा, और ऐसा प्रमाण-पत्र उसने कथित किये जाने वाले तथ्यों की सत्यता के बारे में निश्चायक सबूत होगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को धारा 4 द्वारा परिभाषित है।

(3) ऐसी किसी डिक्री जिसमें उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाहिया रोक दी गई है अथवा स्थायी रूप से वर्जित कर दी गई है के निष्पादन हेतु किसी आवेदन-पत्र के लिये भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 48 द्वारा विहित परिसीमा काल की गणना करने में नोटिस की या डिक्री यदि वह नोटिस के प्रकाशन के पश्चात पारित की गई हो तारीख से प्रतिपालय अधिकरण द्वारा धारा 19 के अधीन कलेक्टर के विनिश्चय को पुष्ट किये जाने की तारीख तक का समय अपवर्जित जायेगे।

22. **<u>पेश नही किये गये दस्तावेजों का कतिपय दशाओं में साक्ष्य में आग्राह्य होना:</u>** - यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में अथवा उसके नियन्त्रणाधीन कोई दस्तावेज उसके द्वारा 17 की अपेक्षा के अनुसार पेश नहीं किया जाता है तो ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा चलाये गये किसी भी वाद में चाहे अधीक्षण जारी रहने के दौरान अथवा उसके पश्चात उस (दस्तावेज) पर आधारित या उसके द्वज्ञरा अनुमोदित किसी दावे या दायित्व को प्रवर्तित करने के लिये, प्रतिपाल्य के खिलाफ ग्राहा नही होगा जब तक कि कलेक्टर के समक्ष उसके पेश न किये जाने का, न्यायालय के लिये समाधानप्रद कोई उचित कारण न बता दिया जाये।

23. **<u>प्रतिपाल्य की संपदा के विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय में निष्पादन की आदेशिका को रोका जाना.-</u>** यदि किसी न्यायालय ने किसी प्रतिपाल्य की किसी भी संपदा के विरूद्ध निष्पादन की कोई आदेशिका जारी करने का निदेश दिया है, तो प्रतिपाल्य अधिकरण प्रतिपाल्य की संपदा का भार संभालने के एक वर्ष के अन्दर किसी भी समय, सिविल न्यायालय को ऐसी आदेशिका के मामले में कार्यवाहियां रोकने के लिये आवेदन कर सकेगा और, सिविल न्यायालय, विलम्ब के लिये ब्याज अथवा मुआवजे के बारे में ऐसी शर्तो पर, जो उसको न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतीत हों, ऐसी कार्यवाहियों को, ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे रोक सकेगा।

24. **<u>इस अध्याय के अधीन व्यक्तियों को शक्तियों से विनिहित करने की शक्ति.</u>**- सरकार किसी भी व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन कलेक्टर की शक्तियों से विनिहित कर सकेगी।

<u>अध्याय-5</u>

<u>संरक्षता तथा प्रबन्ध</u>

25. **<u>प्रतिपाल्य और उसके परिवार के लिये भत्ता.</u>**- प्रतिपाल्य अधिकरण समय-समय पर अवधारित कर सकेगा कि किसी प्रतिपाल्य और उसके परिवार तथा आश्रितों के खर्चों के संबंध में कितनी रकमें मंजूर की जाये।

26. **<u>प्रतिपाल्य का निवास और शिक्षा.</u>**- यदि किसी प्रतिपाल्य अथवा उसके परिवार के किसी अवयस्क सदस्य का शारीरिक अधीक्षण संभाल लिया गया है तो प्रतिपाल्य अधिकरण उसके निवास के संबंध में और किसी अवयस्क की दशा में उसकी शिक्षा के संबंध में भी ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे, परन्तु जहां उक्त अवयस्क एक महिला है, तो इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, उसको उसके माता पिता, दादा दादी अथवा पति की अभिरक्षा से हटाने के लिये प्रतिपाल्य अधिकरण को प्राधिकृत नहीं करेगी।

27. **<u>संरक्षक की नियुक्ति, उसका हटाया जाना और उस पर नियन्त्रण.</u>**- (1) प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसे प्रतिपाल्यों, जो अवयस्क है अथवा विकृत चित है अथवा किसी शारीरिक अथवा मानसिक दोष अथवा अंग शिथिलता से पीडित है, की शारीरिक देखभाल के लिये संरक्षण नियुक्ति कर सकेगा और ऐसे संरक्षकों का नियंत्रण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा और किसी भी प्रतिपाल्य के लिये किसी सरंक्षक, की कोई भी नियुक्ति तब तक विधिमान्य नही होगी जब तक कि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि नही कर दी जाती।

(2) इस धारा के अधीन किसी संरक्षक की नियुक्ति करने में, प्रतिपाल्य अधिकरण संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम 1890 की धारा 17 के उपबंधों से मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा।

28. **<u>संरक्षण के कर्तव्य.</u>**- प्रतिपाल्य की अभिरक्षा का भार इस प्रकार नियुक्त संरक्षक पर होगा, उसके भरण-पोषण और स्वास्थ्य के लिये और यदि वह कोई अवयस्क है तो उसकी शिक्षा और ऐसे अन्य मामालों के लिए जिनकी उसकी स्वीय विधि, जिसके कि वह अध्यधीन है, के अनुसार अपेक्षा है, समुचित व्यवस्था करेगा और:

(क) ऐसी प्रतिभूति देगा जो प्रतिपाल्य अधिकरण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन किये जाने के लिये उचित समझे।

(ख) ऐस लेखे प्रस्तुत करेगा जिनके लिये प्रतिपाल्य अधिकरण निदेश दे,

(ग) उस पर उसके द्वारा देय शेषों का संदाय करेगा

(घ) किसी कार्य की मंजूरी के लिये, जिसमें खर्चा अन्तर्गस्त होने की संभावना हो, जो पहले प्रतिपाल्य अधिकरण से मंजूरशुदा न हो, प्रतिपाल्य अधिकरण की मंजूरी हेतु आवेदन करेगा।

(ड.) ऐसा भत्ता प्राप्त करेगा जो कि प्रतिपाल्य अधिकरण उचित समझे, और वह प्रतिपाल्य को संपदा में से दिया जायेगा।

(च) सरंक्षक न रहने के पश्चात भी अपने संरक्षणकाल के दौरान की प्राप्तियों और संवितिरणों का प्रतिपाल्य अधिकरण को लेखा देने के लिये उत्तरदायी बना रहेगा।

29. **<u>प्रबन्धक की नियुक्ति उसका नियन्त्रण और हटाया जाना.</u>**- प्रतिपाल्य अधिकरण अपने अधीक्षणाधीन किसी भी संपदा के लिये कोई प्रबन्धक नियुक्त कर सकेगा और ऐसे पेबन्धक पर नियन्त्रण रख सकेगा व उसको हटा सकेगा।

ऐसा प्रबन्धक ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा, जो प्रतिपाल्य अधिकरण उचित समझे, और वे संपदा में से संदेय होंगे।

30 **<u>प्रबन्धकों की शक्तियां.</u>**- प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये प्रबन्धक को उसके प्रभार के अधीन रखी गई भूमि के लगानों के और जिस प्रतिपाल्य की संपदा का प्रबन्ध करता है, उसको देय समस्त अन्य धन राशियों के संग्रहण की और उनके लिये रसीद देने की शक्ति प्राप्त होगी।

और वह सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कृषिक पट्टे दे सकेगा, और ऐसे समस्त विधि पूर्ण कृत्य कर सकेगा, जिनके लिये वह संपदा के अच्छे प्रबन्ध के लिये प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाये।

31. **<u>प्रबन्धकों के कर्तव्य</u>**.- प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा नियुक्त प्रत्येक प्रन्धक उसके प्रभाराधीन संपत्ति का पत्परतापूर्वक और निष्ठापूर्वक प्रबन्धक करेगा और वह,-

(क) उसके प्रभाराधीन संपदा के लगानों और लाभो जो वह प्राप्त करे, के संबंध में उनका सम्यक् रूप से लेखा-जोखा देने के लिए ऐसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, देगा जो प्रतिपाल्य अधिकरण उचित समझे,

(ख) ऐसे प्ररूप में हिसाब रखेगा और उनको ऐसे समयों पर प्रस्तुत करेगा जिनके लिये प्रतिपाल्य अधिकरण निदेश दे,

(ग) उसके द्वारा प्राप्त धन का ऐसी रीति से संव्यवहार करेगा जो प्रतिपाल्य अधिकरण निदेश करे,

(घ) किसी भी ऐसे कार्य के लिये, जिससे सपंदा के किसी ऐसे खर्चे में अन्तर्ग्रस्त हाने की संभावना हो, जो प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा पहले से मंजूरशुदा न हो, प्रतिपाल्य अधिकरण की मंजूरी के लिये आवेदन करेगा,

(झ.) अपनी उपेक्षा से या जानबूझ कर किये गये व्यतिक्रम से प्रतिपाल्य संपदा को हुई हानि के लिये उत्तरदायी होगा,

(च) प्रवन्धक न रहने के पश्चात अपने प्रबन्धकत्व की धवधि के दौरान प्राप्तियों और संवितरणों का प्रतिपाल्य अधिकरण को लेखा देने के लिए दायित्वाधीन बना रहेगा।

<u>32. संरक्षक अथवा प्रवन्धक की नियुक्ति का पर्यवसान.-</u> धारा 27 के अधीन नियुक्त किसी संरक्षक अथवा धारा 29 के अधीन नियुक्त किसी प्रबन्धक की नियुक्ति का उस समय पर्यवसान हो जायेगा जब प्रतिपाल्य अधिकरणर द्वारा प्रतिपाल्य के शरीर या संपदा के अधीक्षण का प्रयोग समाप्त हो, जिसके लिये वह संरक्षक अथवा प्रबन्धक नियुक्त किया गया था।

<u>33. संरक्षक आदि लोक सेवक समझे जायेंगे</u>.- प्रत्येक संरक्षक, प्रबन्धक अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण का कोई अन्य सेवक, भारतीय दण्ड सहित के अध्याय 9 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समक्षा जायेगा और, उन संहिता की धारा 161 में अन्तर्विष्ट वैध पारिश्रमिक' की परिभाषा में इस धारा के प्रयोजनों के लिये "सरकार" में प्रतिपाल्य अधिकरण सम्मिलित समझा जाएगा।

34 हानि अथवा गोल माल के लिये प्रवन्धक और अन्य सेवकों के विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी.- प्रत्येक संरक्षक प्रबन्धक अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण के अन्य सेवक, जिसको प्रतिपाल्य अधिकरण की ओर से धनराशियों की या धन की प्रतिभूतियों की प्राप्ति उनके अभिरक्षण या नियन्त्रण कार्य अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन किसी संपदा का प्रबन्ध सौंपा गया है के विरुद्ध उसके लेखाओं में किसी भी हानि या गोल-माल के लिए उसी प्रकार कार्यवाही की जा सकेगी मानों उसकी रकम भू-राजस्व की कोई बकाया हो।

35. कलेक्टर, संरक्षक, अथवा प्रबन्धक के कर्तव्यों का कब निर्वहन करेगा.- यदि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा किसी प्रतिपाल्य के शरीर अथवा संपदा का कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाये, तो धारा 15 के अधीन संभालने के आदेश में विनिर्दिष्ट कलेक्टर अथवा कोई भी अन्य कलेक्टर जिसको प्रतिपाल्य अधिकरण इस निमित्त नियुक्त करें, प्रतिपाल्य अधिकरण के आदेशों के अधीन ऐसी कोई भी बात, जो किसी संरक्षक अथवा प्रवन्धक द्वारा विधिपूर्वक की जा सकती हो, करने के लिये सक्षम होगा।

36. प्रबन्धक द्वारा प्राप्त धन का उपयोजन.- प्रबन्धक द्वारा प्राप्त समस्त धन का उप योजन जो कि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा समय समय पर उन निमित्त दिये गये अनुदेशों के अनुसार, एतद्द्वारा वर्णित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, द्वितीय वर्ग में सम्मिलित प्रयोजनों को अपेक्षा प्रथम वर्ग में सम्मिलित प्रयोजनों को पूर्विकता दी जायेगी, और जब तक प्रतिपाल्य अधिकरण विशिष्ट रूप से अन्यथा निदेश न दे, तृतीय वर्ग में सम्मिलित प्रयोजनों की अपेक्षा द्वितीय वर्ग में सम्मिलित प्रयोजनों को पूर्विकता दी जायेगी।

प्रथम वर्ग

प्रतिपाल्य और उसके परिवार के भरण-पोषण और शिक्षा के लिये, तथा प्रतिपाल्य की संपदा के प्रबंध और अधीक्षण के लिये आवश्यक समस्त खर्चों का भुगतान और

ऐसी सपंदा या उसके किसी भी भाग के संबंध में देय समय-समय पर सरकारी राजस्व की किस्तों का और समस्त उपकरों तथा अन्य लोक मांगों का उन्मोचन।

द्वितीय वर्ग

प्रतिपाल्य द्वारा संदेय ऋणों का समापन

उन समस्त खर्चों का भुगतान जो प्रतिपाल्य के हितों का सिविल न्यायालय में संरक्षण करने के लिये अथवा अन्यथा आवश्यक हो,

प्रतिपाल्य के भवनों और अन्य स्थावर संपत्ति को अच्छी दशा में बनाये रखना और उसके फर्नीचर, उपस्करों, पशु धन और अन्य जंगम संपत्ति का समुचित रूप से अनुरक्षण, और

प्रतिपाल्य तथा उसके परिवार के धार्मिक आचारों के लिये ऐसे खर्चों का, और ऐसे धार्मिक पुण्यार्थ तथा अन्य भत्तों का एवं प्रतिपाल्य के परिवार की स्थिति के योग्म ऐसे संदानों का भुगतान जो प्रतिपाल्य अधिकरण संदत किये जाने के लिये प्राधिकृत करे।

तृतीय वर्ग

प्रतिपाल्य के काश्तकारों के कष्टों का निवारण और उनसे राहत :

प्रतिपाल्य की भूमि और संपत्ति का सुधार, और सामान्यतः प्रतिपाल्य और उसकी संपदा का फायदा, और

अन्य भू-संपत्ति अथवा गृह संपत्ति की खरीद, और ब्याज पर विनिधान जो निम्नलिखित की प्रतिभूति पर हो-

वचन-पत्र, ऋण-पत्र, स्टाक और केन्द्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियां,

रेल्वे अथवा अन्य कम्पनियों के स्टाक अथवा ऋण-पत्र अथवा उनके शेयर, जिन पर कि ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत किया गया है,

किसी नगरपालिका निकाय अथवा किसी विधान मंडल के किसी अधिनियम के प्राधिकार के अधीन भारत में स्थापित किसी पतन न्यास द्वारा प्रथवा उसकी ओर से संदत्त किये गये धन के लिये डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियां, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अन्य प्रतिभूतियां, स्टोक्स अथवा शेयर, जो प्रतिपाल्य अधिकरण को ठीक लगे।

स्थावर संपत्ति पर बंधक; अथवा

प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन अन्य भूधारको की ओर से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये निष्पादित वचन-पत्र ।

<u>37. प्रतिपाल्यों की निर्योग्यताए .-</u> कोई प्रतिपाल्य-

(क) प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन अपनी संपदा के किसी भाग का अन्तरण करने अथवा उस पर कोई भार सृजित करने अथवा उसमें कोई हित पैदा करने अथवा कोई ऐसी संविदा करने के लिये सक्षम नही होगा, जो उसको धन संबंधी दायित्व में अंतर्ग्रस्त करने वाली हो लेकिन इस खण्ड की कोई भी बात किसी प्रतिपाल्य के विवाह की संविदा करने की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी, परन्तु वह उसके संबंध में कोई धन सबंधी दायित्व उपगत नहीं करेगा सिवाय उसके जिसे प्रतिपाल्य अधिकरण उस स्वीय विधि का, जिसके वह अध्यधीन है और उसकी रैक और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, लिखित में युक्तियुक्त घोषित करें,

(ख) प्रतिपाल्य अधिकरण की लिखित सहमति के बिना दत्तक ग्रहण करने के लिये सक्षम नहीं होगा,

(ग) प्रतिपाल्य अधिकरण की लिखित सहमति, जो या तो विल करने के पूर्व या पश्चात् परन्तु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में दी गई हो, के बिना अपनी संपत्ति का विल द्वारा निर्वतन करने के लिये सक्षम नहीं होगा।

38 अपने अधीक्षणाधीन संपदा के संबंध में प्रतिपाल्य अधिकरण की शक्तियां.- (1) प्रतिपाल्य अधिकरण अपने अधीक्षणाधीन संपूर्ण संपदा को अथवा उसके किसी भी भाग को बंधक रख सकेगा या बेच सकेगा और ऐसी संपूर्ण संपदा या उसके किसी भी भाग को या उसके फार्मों को ऐसे निबन्धनों पर पट्टे पर दे सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे और लगान या अन्य देयों में ऐसी छूट दे सकेगा तथा तथा सामान्यतया ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और ऐसा कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों से असंगत न हो और जिन्हें वह प्रतिपाल्य के फायदे में या संपदा के लिए लाभ प्रद समझे :

परन्तु धारा 10 के अधीन प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन रखी गई कोई भी संपदा संपूर्णतः या भागतः भू-धारक की सहमति के बिना बेची नहीं जा सकेगी, सिवाय इस आधार पर के कि जिन ऋणो और दादित्वों से वह संपदा प्रभारित है, ऐसे है कि उनका युक्ति-युक्त समय में समापन असाध्य होगा ओर कि धारा 45 के अधीन उस संपदा का निर्मोचन प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण के दौरान की गई संविदाओं अथवा वचनबंधों या लिये गये दायित्वों के कारण असमीचीन है।

(2) प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा क्रेता को दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र

(क) कि विक्रय के लिए भू-धारक की सहमति अभिप्राप्त करली गई है, या

(ख) कि विक्रय ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनमें इस धारा की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन ऐसी सहमति अनावश्यक हो जाती है।

उन तथ्यों की सत्यता के बारे में निश्चायक सबूत होगा जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को धारा 4 द्वारा परिभाषित है।

39. लगानों की बकाया भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूलीय होगी.- तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रतिपाल्य अधिकरण के प्रभाराधीन किसी संपदा के संबंध में लगानों, स्थानीय करों और उपकरों की देय बकाया (चाहे ऐसे लगान, स्थानीय कर और उपकर प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा प्रभार ग्रहण करने से पहले देय हुये हों या बाद में) उस जिले जिसमें ऐसी संपदा स्थित है, के कलक्टर के आदेशो के अधीन भू-राजस्व की बकाया की तरह ऐसी किसी भी प्रक्रिया से वसूली किये जा सकेंगे जिसके द्वारा तत्समय भू-राजस्व की बकाया वसूल की जा सकती हो।

40. **देय बकाया के प्रमाण-पत्र का दिया जाना (1)** जब कोई कलेक्टर पूर्ववर्ती धारा के अधीन कार्यवाही करने का विनिश्चय करे तो उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि बकाया देय है और उसके संदाय की मांग की गई है, एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमे देय रकम और उस व्यक्ति का जिसके द्वारा वह संदेय है, कथन होगा और ऐसा प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के द्वारा अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर, उसमें कथित बातों का निश्चायक सबूत होना।

(2) प्रमाण-पत्र समस्त देय और वसूलीय बकायाओं और ब्याज की रकम के संबंध में होगा और उसके संबंध में उतनी ही रकम की कोर्ट फीस संदेय होगी जितनी कि तत्समय प्रवृत्त कोर्ट फीस एक्ट

के अधीन उतनी ही रकम के किसी वाद-पत्र के संबंध में संदेय है, और ऐसी कोर्ट फीस की रकम उस रकम में सम्मिलित की जा सकेगी जिसके लिये प्रमाण-पत्र दिया गया है।

41. **<u>व्यतिक्रमी द्वारा दायित्व से इन्कार करने पर प्रक्रिया</u>**.- (1) यदि प्रमाण-पत्र में नामित व्यक्ति, उसमें बतायी गयी रकम अथवा उसमें किसी भाग के लिये अपने दायित्व से इन्कार करता है तो वह उसका नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर अथवा यदि कोई नोटिस नहीं दिया गया हो तो रकम की वसूली अथवा प्रमाण-पत्र के प्रवर्तन के लिये कोई आदेशिका निष्पादित किये जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर अपनी इन्कारी के आधारों का कथन करते हुए कलेकटर को एक याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) कलेक्टर-

(i) ऐसी याचिका को संक्षिप्ततः खारिज कर सकेगा, अथवा

(ii) ऐसी जांच के पश्चात् जो उचित समझे, प्रमाण-पत्र को संशोधित अथवा रद्द कर सकेगा अथवा उसका निष्पादन ऐसे समय के लिये, जो वह उचित समझे निलम्बित कर सकेगा अथवा

(iii) अधिकारिता रखने वाले किसी भी राजस्व न्यायालय को प्रमाण-पत्र तथा याचिका भेज देगा, जो प्रवन्धक तथा याची के बीच किसी वाद के रूप में उस पर कार्यवाही करेगा और तदुपरान्त वह प्रमाण-पत्र सम्यक रूप से पेश किया गया वाद पत्र समझा जायेगा।

42. **<u>दायित्व का प्रतिवाद करने के लिये व्यतिक्रमी सिविल वाद कब दायर कर सकेगा-</u>** (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने पिछली धारा के अधीन कोई याचिका पेश की है.-

(क) यदि वह याचिका उस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (i) के अधीन नामंजूर कर दी गयी है, या

(ख) यदि प्रमाण-पत्र खंड (ii) के अधीन उसको समाधानपद रूप में रद्द अथवा संशोधित नहीं कर दिया गया है, या

(ग) यदि याचिका और प्रमाण-पत्र खंड (iii) के अधीन कार्यवाही किये जाने के लिये नहीं भेजा गया है,

तो, यदि वह प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट रकम के अथवा उसके कोई भाग संदत करने के अपने दायित्व से इन्कार करता है और संदाय के समय लिखित अभ्यापत्ति के अधीन उसका संदाय करता है तो इस प्रकार संदत्त रकम अथवा उसके किसी भाग की वसूली के लिये सिविल वाद दायर कर सकेगा।

(2) ऐसे वाद में, वादी धारा 40 में किसी भी बात के होते हुए भी प्रमाण-पत्र में कथित किसी भी मामले के संबंध में साक्ष्य दे सकेगा।

43. **<u>स्थापना और व्यय.</u>**- प्रतिपाल्य अधिकरण, समय 2 पर ऐसी स्थापनाएं रखने और व्ययों को करने का आदेश दे सकेगा, जो वह अपने अधीक्षणाधीन व्यक्तियों और संपदाओं की देख भाल और प्रबन्ध के लिये और साधारणतया इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये अपेक्षित समझे, और

आदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यय सामान्यतः प्रतिपाल्य की संपदा पर अथवा ऐसी किसी एक या अधिक संपत्तियों पर जिनके प्रयोजनों के लिये ऐसी स्थापना रखी जाती है या की गई है अथवा ऐसे व्यय किये गये हैं, प्रभारित किये जायेंगे।

44. **लेखाओं की संपरीक्षा.-** प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन संपदाओं के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित किये जाये।

अध्याय -6
अधीक्षण से व्यक्ति और संपदा की निर्मुक्ति

45. **अधीक्षण से निर्मुक्त करने की शक्ति.**- प्रतिपाल्य अधिकरण, किसी भी व्यक्ति अथवा संपदा को किसी भी समय अपने अधीक्षण से निर्मुक्त कर सकेगा।

परन्तु, प्रथम तो यह कि प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसी किसी भी संपदा को जिसका भू-धारक धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हित कर दिया गया है, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस प्रकार निर्मुक्त नही करेगा :

परन्तु, दूसरे यह कि प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसी मंजूरी के बिना किसी भी संपदा को इस प्रकार निर्मुक्त नहीं करेगा जब कि उन ऋणों और दायित्यों के समापन के लिए कदम उठा लिऐं हैं जिनमें सपंदा प्रभारित है और उनका समापन पूर्ण नही हो गया है :

परतु, तीसरे यह कि प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसी मंजूरी के बिना धारा 15 के अधीन अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी भी संपदा को इस आधार पर निर्मुक्त नहीं कर सकेगा कि वे ऋण और दायित्व जिनसे यह प्रभारित है, ऐसे हैं कि जिनसे युक्तियुक्त समय के भीतर उनका समापन होना असाध्य है : और

परन्तु, चौथे यह कि प्रतिपाल्य अधिकरण धारा 8 की उपधारा (1) के (ख) के अधीन निरर्हित किसी व्यक्ति की संपदा को निर्मुक्त नहीं करेगा जब तक कि अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को नोटिस दिये जाने के पश्चात् तीन माह समाप्त नहीं हो गये हो।

46. **कतिपय मामलों में अधीक्षणता छोडने अथवा बनाये रखने का विकल्प.-** (1) जब किसी प्रतिपाल्य की मृत्यु हो जाती है, अथवा जब धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन निरर्हित कोई प्रतिपाल्य उन ऋणों और दायित्वों, जिनसे संपदा प्रभारित है, का समापन पूरा होने से पूर्व, निरर्हित नहीं रह जाता है तो प्रतिपाल्य अधिकरण या तो ऐसी संपदा को निर्मुक्त कर सकेगा अथवा उसको अपने अधीक्षणाधीन बनाये रख सकेगा, जब तक ऐसे ऋणों और दायित्वों का उन्मोचन नहीं हो जाता है।

(2) यदि प्रतिपाल्य अधिकरण अधीक्षण बनाये रखता है, तो वह व्यक्ति जो संपदा का उत्तराधिकारी बना है अथवा वह व्यक्ति जो निरर्हित नही रह गया है, ऐसी संपदा के किसी भी भाग पर जब तक कि वह प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन रहे कोई प्रभार हस्तान्तरित करने अथवा उसमें कोई हित

सृजित करने के लिये सक्षम नहीं होगा, और न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा जो इस प्रकार उत्तराधिकारी बना है, पहले उपगत किये गये ऋण और दायित्व ऐसी संपदा पर प्रभार्य होंगे जब तक कि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा देय ऋणों और दायित्वों का उन्मोचन नही हो जाता है।

47. **एक से अधिक भू-धारक होने पर अधीक्षणता बनाये रखना.-** (1) यदि प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन किसी भी संपदा के मामले में एक से अधिक भू-धारक है और यदि ऐसे भू-धारकों में से कोई भी एक प्रतिपाल्य नहीं रह जाता है, तो प्रतिपाल्य अधिकरण यदि वह प्रतिपाल्य रह जाने वाले भू-धारकों के हित में इसे समीचीन समझता है, संपूर्ण संपदा को अपने अधीक्षणाधीन बनाये रख सकेगा।

(2) यदि प्रतिपाल्य अधिकरण इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन किसी भू-धारक जो प्रतिपालय नही रह गया है के अंश पर अधीक्षण बनाये रखता है तो जब तक वह अंश प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन रहता है, तब तक ऐसा भू-धारक ऐसे अंश के किसी भी भाग को हस्तान्तरित करने अथवा उस पर कोई प्रभार अथवा उसमें कोइं हित सृजित करने के लिये सक्षम नही होगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे भू-धारक को वसीयत व्यवस्थापन करने से निर्वारित करने वाली नही समझी जायेगी, यदि तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसा व्यवस्थापन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात ऐसे भू-धारक को अपने अंश का विभाजन करने के लिये आवेदन करने से निवारित करने वाली नही समझी जायेगी, और विभाजन हो जाने पर प्रतिपाल्य अधिकरण उस विभाजन के फलस्वरूप ऐसे भू-धारक को आवंटित संपदा के अंश को निर्मुक्त कर देगा:

परन्तु यह और कि ऐसा आवेदन करने की तारीख से और जब तक ऐसा विभाजन नही हो जाता प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसे भू-धारक को संयुक्त संपदा के उसके अंश से प्रोद्भूत अधिशेष आय संदत्त करेगा।

48. **अवयस्क को निर्मुक्त करने पर सरक्षक की नियुक्ति.**- (1) जब प्रतिपाल्य अधिकरण किसी अवयस्क के शरीर और संपदा का अपने अधीक्षण से निर्मुक्त करने का विनिश्चय करता है तो वह ऐसी निर्मुक्ति से पूर्व, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे अवयस्क के शरीर और संपदा का अथवा दोनों का किसी भी व्यक्ति को सरंक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(2) ऐसी नियुक्ति ऐसी निर्मुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

(3) इस धारा के अधीन संरक्षक नियुक्त करने के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 17 के उपबन्धों से मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा।

(4) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति उस जिला न्यायाधीय को अधिसूचित की जायेगी जिसकी अधिकारिता में, संपदा या उसका कोई भाग स्थित है।

(5) ऐसा प्रत्येक संरक्षक ऐसे जिलाधीश द्वारा नियुक्त किया गया तथा उसकी अधिकारिता के अध्यधीन समझा जायेगा मानो वह इस प्रकार नियुक्त किया गया हो और उसे वे ही अधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन्हीं कर्तव्यों और दायित्वों के अध्यधीन रहेगा मानो वह संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम-1890 के अधीन नियुक्त किया गया हो।

49. **प्रतिपाल्य की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार के संशयात्मक होने पर संपदा का निपटारा.**- जब किसी प्रतिपाल्य को मृत्यु पर उसकी संपदा अथवा उसके किसी भाग का उत्तराधिकारी विवादास्पद

हो तो प्रतिपाल्य अधिकरण या तो यह निदेशक दे सकेगा कि ऐसी संपदा अथवा भाग उसके लिये दावा करने वाले व्यक्ति के हवाले कर दिया जाये; अथवा उसे अपने अधीक्षणाधीन बनाये रखेगा जब तक कि कोई दावेदार किसी सक्षम न्यायालय में उस पर अपना हक सिद्ध न कर दे, और ऐसी वाद वाली दशा में वह विभिन्न दावेदारों के विरूद्ध एक अन्तराभिवाची वाद संस्थित कर कसेगा।

50. **जिस संपदा का अधीक्षण बनाये रखा गया है उसके संबंध में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियां.-** **(1)** जब प्रतिपाल्य अधिकरण धारा 46 धारा 47 या धारा 49 के उपबन्धों के अधीन किसी संपदा का अधीक्षण बनाये रखता है, तो वह ऐसी संपदा के संबंध में इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त समस्त अथवा किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और संपदा की उचित देखेख और प्रबन्ध के लिये अपेक्षित ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जैसे कि उसका भू-धारक यदि वह निरर्हित न हुआ हो, तो उसकी देखरेख और प्रबन्ध के लिये करे, और किसी मृत प्रतिपाल्य के सबंधियें और आश्रिंतों को ऐसे भत्ते दे सकेगा जो उचित मालूम हो, इस उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा किये गये सभी कार्य उस व्यक्ति पर आबद्धकर होंगे जो ऐसी संपदा का उत्तराधिकारी बनता है।

(2) उक्त संपदा से संबंधित वाद ऐसी संपदा के प्रभारी कलेक्टर अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम से, जिसे प्रतिपालय अधिकरण इस निमित्त नियुक्त करे, दायर किये जायेंगे या उनका प्रतिवाद किया जायेगा।

51. संपदा के निर्मुक्त होने पर दस्तावेजों और लेखाओं का दिया जाना.- जब प्रतिपाल्य अधिकरण किसी भूधारक की संपदा को अपने अधीक्षण में निर्मुक्त कर दे तो वह ऐसी संपदा से संबंधित सभी हक के दस्तावेजों और अन्य कागज, पत्रों और लेखाओं को (सरकारी अभिलेखों को छोड़कर) भू-धारक को दे देगा ।

52. अधीक्षण से निर्मुक्ति की अधिसूचना.- प्रतिपाल्य अधिकरण जब किसी व्यक्ति अथवा संपदा को अधीक्षण से निर्मुक्त कर दे तो ऐसी निर्मुक्त के तथ्य को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा ।

53. दायित्वों के उन्मोचन के बिना निर्मुक्ति का प्रभाव.- जब प्रतिपाल्य अधिकरण किसी प्रतिपाल्य की संपदा का अधीक्षण संभालने के पश्चात अध्याय 4 में उपबन्धित रीति से उसके दायित्वों का उन्मोचन किये बिना उसको निर्मुक्त कर देता है, तो धारा 17 के अधीन नोटिस के प्रकाशन से ऐसी निर्मुक्ति की तारीख तक का समय ऐसे नोटिस की तारीख को प्रतिपाल्य के विरुद्ध बकाया समस्त दावों की वसूली के लिये वादों या आवेदन-पत्रों पर लागू होने वाले परिसीमाकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दिया जायेगा।

अध्याय-7
वाद

54. विवेकाधिकार के प्रयोग पर सिविल न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जायेंगी, कतिपय अधिकारियों का वादों से परित्राण.- (1) इस अधिनियम द्वारा सरकार अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण को प्रदत्त किसी विवेकाधिकार के प्रयोग पर, किसी सिविल न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जायेगी ।

(2) प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा नियुक्त और उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले किसी सरकारी अधिकारी अथवा किसी संरक्षक, प्रबन्धक या सेवक के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा सद्भाव से की गई किसी भी बात के लिये कोई वाद नहीं लाया जायेगा।

55. <u>सिविल वाद का नोटिस.-</u> किसी प्रतिपाल्य के शरीर या संपदा के सम्बन्ध में कोई भी वाद किसी भी सिविल न्यायालय में संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि एक लिखित नोटिस, उसमें आशयित वादी का नाम और निवास स्थान वाद हेतुक और वह अनुतोष, जिसका वह दावा करता है, कथित करते हुए कलेकटर अथवा संपदा के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के कार्यालय में परिदत करने या छोड़ देने के पश्चात् दो माह समाप्त न हो गये हो, तथा वाद-पत्र में यह कथन अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है।

56. <u>सिविल न्यायालय में वाद कलेक्टर अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम से होगा जिसे प्रतिपाल्य अधिकरण नियुक्त करें</u> :-- कोई भी प्रतिपाल्य उसकी संपदा के प्रभारी कलेक्टर अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे प्रतिपाल्य अधिकरण इस निमित्त नियुक्ति करें के द्वारा और नाम से अन्यथा किसी सिविल न्यायालय में न तो कोई वाद लायेगा और न उस पर कोई वाद लाया जायेगा, कोई कार्यवाही की जायेगी।

57. **<u>सिविल न्यायालय में प्रतिनिधियों की नियुक्ति.</u>**- जब किसी वाद या कार्यवाही में दो या अधिक प्रतिपाल्य पक्षकार होने के कारण परस्पर विरोधी हित रखते हों, तो प्रतिपाल्य अधिकरण ऐसे प्रत्येक प्रतिपाल्य के लिये एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा और तदुपरान्त वह प्रतिनिधि प्रतिपाल्य अधिकरण के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए उस प्रतिपाल्य की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, मामले का संचालन अथवा उसकी जवाबदेही करेगा।

<u>58 सिविल न्यायालय द्वारा राय के लिये मामले का विवरण.-</u> (1) जहा दो या अधिक प्रतिपाल्य में इस प्रकार का कोई प्रश्न उठ खडा हो कि उस पर किसी सिविल न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन समीचीन है तो प्रतिपाल्य अधिकरण के लिये प्रत्येक प्रतिपाल्य की ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा। इस प्रकार नियुक्त प्रतिनिधि एक विवरण तैयार करेगा जिसमें उस प्रश्न अथवा उन प्रश्नों का कथन होगा जो अवधारित किये जाने है, और उक्त प्रतिपाल्य की ओर से उस विवरण को, अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय में, उसकी राय के लिये एक केस के रूप में, फाइल करेगा।

(2) सिविल न्यायालय तब वादों की सुनवाई तथा निपटारे के लिये, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विहित रीति से मामले की सुनवाई तथा निपटारे के लिये कार्यवाही करेगा।

(3) मामला प्रतिपाल्यों की और से इस धारा की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिपाल्य अधिकरण के सामान्य नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए संचालित किया जायेगा ।

59. <u>प्रतिपाल्यो के बीच मामलों में मध्यस्थता के लिये प्रक्रिया.-</u> (1) जब प्रतिपाल्य अधिकरण को यह प्रतीत हो कि दो अथवा अधिक प्रतिपाल्यों के बीच उठने वाला कोई प्रश्न या विवाद मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किये जाने के लिए एक उचित विषय है, तो वह ऐसे प्रत्येक प्रतिपाल्य की और से एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा और उक्त प्रतिनिधि से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस प्रश्न अथवा विवाद को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की, जिन्हें वह अनुमोदित करे, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करें।

(2) उपधारा (1) के अनुसार मध्यस्थता के लिये किया गया निर्देश, उन व्यक्तियों जो अधिकरण के प्रतिपाल्य नहीं है. द्वारा किये गये निर्देश की तरह प्रभावी होगा और उसके वे ही परिणाम होंगे जो उक्त व्यक्तियों द्वारा किये गये निर्देश के होते हैं।

60. <u>राजस्व न्यायालयों में वाद इत्यादि.-</u> (1) प्रतिपाल्य की संपदा के प्रभारी कलेक्टर या प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा नियुक्त प्रबन्धक द्वारा या उसके नाम में के सिवाय किसी राजस्व न्यायालय में भी प्रतिपाल्य न तो कोई वाद चलायेगा और न उस पर कोई वाद चलाया जायेगा और न कोई कार्यवाहियों की जायेगी।

(2) ऐसे कलेक्टर के नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा प्रवन्धक अथवा, जहां ऐसा कोई प्रवन्धक नहीं है, वहां ऐसा कलेक्टर उसको सौंपी गयी संपदा के संबंध में राजस्व न्यायालयों में वाद, आवेदन-पत्र अथवा अन्य कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा, उनकी जवाबदेही या उनके संबंध में समझौता कर सकेगा अथवा उनके बारे में अन्यथा कार्यवाही कर सकेगा।

61. **<u>विधिक व्ययों के लिये प्रतिपाल्य अधिकरण के सीधे दायित्व की व्यावृत्ति.-</u>** जब प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन किसी संपदा के संबध में किसी प्रतिपाल्य की ओर से कार्य करने वाले प्रतिपाल्य अधिकरण के विरुद्ध सिविल न्यायालय में कोई वाद चलाया जाये और उक्त वाद में किसी डिक्री के कारण उस संपदा पर प्रतिपाल्य का हक समाप्त हो जाये, तो ऐसे मुकदमें के दौरान प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा उपगत किय गये समस्त व्यय, जहां तक वे विरोधी पक्ष द्वारा संदेय नहीं है, प्रथमत: उक्त प्रतिपाल्य की किसी अन्य संपदा से वसूलीय होंगे और उसके व्यतिक्रम में उस संपदा से वसूलीय होंगे जिसके कारण, उक्त मुकदमा किया गया था।

<u>अध्याय 8</u>
<u>प्रकीर्ण</u>

62. **<u>विलेख एवं अन्य लिखतें.-</u>** (1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में निष्पादित समस्त विलेख, संविदायें, अथवा अन्य लिखतें अपने स्वयं के नाम से अथवा प्रतिपाल्य की ओर से, जैसा भी परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, निष्पादित किये जा सकेंगे।

(2) प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा की गयी प्रसंविदाये प्रतिपाल्य अधिकरण पर केवल ऐसी संपत्ति की सीमा तक ही और तभी तक बाध्यकर होंगी जब तक ऐसी प्रसंविदाओं से प्रभावित प्रतिपाल्य अथवा संपत्ति उसके अधीक्षणाधीन रहती है, प्रतिपालय या संपत्ति दोनों के ही प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन न रहने के पश्चात ऐसी प्रसंविदाए उस प्रतिपाल्य पर या ऐसी संपत्ति के हकदार व्यक्ति पर बाध्यकार होंगी।

(3) जब अन्तरक और अन्तरिती दानों प्रतिपाल्य हों, तो प्रतिपाल्य अधिकरण को अन्तरक और अन्तरिती क्रमश: दोनों की ओर से प्रसंविदायें करने की शक्ति होगी।

(4) यह धारा यथोपरोक्त समस्त विलेखों, संविदाओं और अन्य लिखतों पर लागू होगी, चाहें वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व निष्पादित की गई हों अथवा पश्चात्।

63. <u>व्यवों की वसूली.</u>- प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा इसके अधीक्षणाधीन किसी भी संपदा के लेखे उपगत किया गया कोई भी व्यय, ऐसी संपदा की निर्मुक्ति के पश्चात्, ऐसी संपदा पर देय भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

64. <u>प्रतिपाल्य अधिकरण की नियम बनाने की शक्ति.-</u> प्रतिपाल्य अधिकरण सरकार के पुर्वानुमोदन से-

(क) प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन संपदाओं के प्रबन्ध को विनियमित करने के लिये ;
(ख) प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षणाधीन संपदाओं के लेखाओं की संपरीक्षा को विनियमित करने व ऐसी संपरीक्षा के लिये संदेय प्रभारों के लिये; और
(ग) सामान्यतः इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में समस्त व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिये औरे इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिये ;

इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा।

<u>प्रथम अनुसूची</u>

(देखिए धारा 3)

<u>निरसित विधियां और अधिनियमितियां</u>

(1) जयपुर प्रतिपालय अधिकरण अधिनियम 1925
(2) बीकानेर प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1928
1 (3) जोधपुर प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1923
(4) बूंदी प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम ।
(5) कुशलगढ प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, ।
(6) डूंगरपुर की प्रतिपाल्य अधिकरण संबंधी विधि।
(7) किशनगढ प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1943।
(8) भरतपुर प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम।
(9) प्रतापगढ प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम।
(10) सिरोही प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम,, 1950 ।
(11) टोंक प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम,।
(12) प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंधित अन्य पसंविदाधीन राज्यों की विधियां।